राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक एफ.11 (1)(25)पोमो / जनरल / आई.सी.डी.एस. / 08–09 / 53188-220 जयपुर, दिनांक 3.8.09

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय– पोषाहार से संबंधित मासिक सूचनाओं का संशोधिन प्रपत्र।

विषयान्तर्गत लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक पोषाहार सेवा के लाभान्वितों को वितरण होने वाली सामग्री के नार्मस को परिवर्तित किया गया है। पोषाहार नार्मस के परिवर्तन के कारण मासिक सूचनाऐं संकलन की वर्तमान में व्यवस्था में संशोधन अपेक्षित है। इसके दृष्टिगत पोषाहार सामग्री से संबंधित मासिक सूचनाओं का संशोधित प्रपत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

इस प्रपत्र को भरने के संबंधित दिशा निर्देश विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है। प्रपत्र में उल्लेखित सूचनाओं को उप निदेशक स्तर पर सूक्ष्म समीक्षा एवं जांच की जावें तथा पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही निदेशालय को प्रेषित की जावें। पोषाहार के संबंध में पूर्व समसंख्यक पत्रांक 48773–804 दिनांक 06.08.08 में उल्लेखित बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावें एवं निम्न व्यवस्था अपनाई जावें :–

1. जब तक आंगनबाडी केन्द्रों पर पुराने नार्मस की पोषाहार सामग्री पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती तब तक पुरानी एवं नवीन सामग्री के पृथक–पृथक प्रपत्र संलग्न कर भिजवायें।
2. यदि पुरानी सामग्री माह के बीच में ही समाप्त हो जाये एवं नवीन सामग्री का वितरण शुरू हो जावें तो दोनों ही प्रपत्र भरें जावें।
3. गरम पोषाहार का प्रपत्र यथावत रहेगा। यह प्रपत्र तैयार खाद्यय सामग्री / एसएसजी द्वारा उत्पादित सामग्री के लिए लागू रहेगा।

अति. निदेशक (पो)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं

पोषाहार सामग्री वितरण के मासिक सूचना प्रपत्र को भरने के दिशा निर्देश

प्रपत्र अ–पोषाहार वितरण एवं लाभान्तियों से संबंधित सूचनाऐं

कॉलम संख्या–2

इस कॉलम में बाल विकास परियोजनाओं का नाम अंकित किया जाना है। परियोजनाओं का कम वही रखा जावे जो मोनेटरिंग शाखा द्वारा आपको उपलब्ध करवाये गये प्रपत्र –I,II,III & IV में रखा गया है।

कॉलम संख्या–3

इस कॉलम में परियेाजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या ही अंकित की जावें।

कॉलम संख्या–4

इस कॉलम में परियेाजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत मिनी आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या अंकित की जावें।

कॉलम संख्या–5

इस कॉलम में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों में से माह के दौरान जितने आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभार्थियों को पोषाहार वितरण किया गया है, की संख्या ही अंकित की जावे (Nutrition Providing Centres)।

कॉलम संख्या–6

इस कॉलम में स्वीकृत मिनी आंगनबाडी केन्द्रों में से माह के दौरान जितने मिनी आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभार्थियों को पोषाहार वितरण किया गया है, की संख्या अंकित की जावे (Nutrition Providing Centres)

कॉलम संख्या–7

इस कॉलम में परियेाजना के अन्तर्गत पोषाहार वितरण दिवस का लक्ष्य अंकित किया जाना है। इस हेतु स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्र का योग कर इसको 25 दिवस से गुणा किया जावे। उदाहरणार्थ किसी परियेाजना में 100 आंगनबाडी केन्द्र एवं 10 मिनी आंगनबाडी केन्द्र है तो (100 +10) X 25 = 110 X 25 = 2750 दिवस उस परियेाजना का पोषाहार का लक्ष्य होगा।

कॉलम संख्या–8

इस कॉलम में परियोजना के अंतर्गत पोषाहार वितरण दिवस की उपलब्धि जो अर्जित की गई है। अर्थात परियोजना के सभी आंगनबाडी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्रो में जितने दिन पोषाहार वितरण किया गया उसका योग इसमें अंकित होगा। उदाहरणार्थ– किसी परियोजना के तीन केन्द्र अ,ब एवं स द्वारा माह के दौरान क्रमशः 26, 24 एवं 18 दिन तथा तीन मिनी आंगनबाडी केन्द्र क, ख एवं ग द्वारा क्रमंशः 16, 13 एवं 10 दिन पोषाहार वितरित किया गया। इन तीनो आंगनबाड़ी केन्द्रों और तीनों मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा माह में पोषाहार वितरण दिवस की कुल उपलब्धि (26+24+18) + (16+13+10) =107 दिवस होगी। इसी प्रकार परियोजना के सभी आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी के वास्तविक पोषाहार दिवस का जोड़ लगाकर सूचना तैयार की जावे तथा इसे कॉलम में भरा जावे।

कॉलम संख्या–9

इस कॉलम में परियोजना के अंतर्गत वास्तविक पोषाहार वितरण दिवस की उपलब्धि का लक्ष्य की तूलना में प्रतिशत निकालकर अंकित किया जाना है। इस हेतु कॉलम संख्या 8 की सूचना में कॉलम संख्या 7 का भाग देकर उसे 100 से गुणा कर प्रतिशत निकाला जावें। प्रतिशत दशमलव में नहीं दर्शावें।

कॉलम संख्या–10–19

इन कॉलम्स में आंगनबाडी केन्द्र पर विभिन्न श्रेणी के पोषाहार हेतु पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या अंकित की जानी है। कॉलम संख्या 10 से 17 में बालक एवं बालिकाऐं पृथक–पृथक अंकित की जानी है। पंजीकृत लाभार्थियों की सूचना कम्प्यूटराईज मासिक सूचना प्रपत्र में अंकित पंजीकृत लाभान्वितों के अनुरूप होनी चाहिए। ध्यान रहे कि इन कॉलम में वास्तविक पंजीकृत लाभार्थियों की सूचना अंकित की जानी है न कि डाईट की।

कॉलम संख्या–10 एवं 11

इस कॉलम में 0–3 वर्ष के पंजीकृत बालक बालिकाओं की संख्या को अंकित करें। इसमें कॉलम संख्या 12 एवं 13 में अंकित 0–3 के अति कुपोषित बच्चों की संख्या को नहीं जोडें। अर्थात दोनों प्रकार के पंजीकृत लाभार्थियों (कुपोषित/सामान्य तथा अति कुपोशित) की संख्या को पृथक–पृथक दर्शायें। उदाहरणार्थ किसी आंगनबाडी केन्द्र पर 31 बच्चे 3 वर्ष से कम आयु के पंजीकृत है तथा उनमें से 4 अतिकुपोषित है तो 27 बच्चों की सूचना कॉलम संख्या 10 एवं 11 में तथा शेष 4 की सूचना कॉलम संख्या 12 एवं 13 में अंकित करें।

कॉलम संख्या–14–17

3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित सहित सभी बच्चों की संख्या को कॉलम संख्या 14 एवं 15 में दर्शाये। इनमें से जो बच्चे अतिकुपोषित है इन्हें कॉलम संख्या–16 एवं 17 में भी पृथक से दर्शाये। उदाहरणार्थ यदि किसी केन्द्र पर कुल 23 बच्चे पंजीकृत है एवं इनमें से 2 अति कुपोषित हैं तो कॉलम संख्या 14 एवं 15 में सभी 23 बच्चों को दर्शाना है तथा कॉलम संख्या

16 एवं 17 में 2 बच्चों को भी पृथक से दर्शाना है। ध्यान रहे कि इस प्रकार इन कॉलम को भरने का तरीका 0–3 वर्ष के बच्चों के लिए कॉलम (10–13) को भरने से भिन्न है।

कॉलम संख्या–18–19

इस कॉलम में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की संख्या अंकित की जानी है। कॉलम संख्या–19 में पंजीकृत किशोरी बालिकाओं की संख्या अंकित की जानी है। **उन्हीं बालिकाओं का पंजीकरण किया जाना है जो कि किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत चिन्हित की गई हो। अन्य को नहीं अर्थात अब किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण उन्हीं आंगनबाडी केन्द्रों पर किया जाना है जहाँ K.S.Y. चलायी जा रही है। अन्य केन्द्रों पर नहीं करें।**

कॉलम संख्या–20

इस कॉलम में कॉलम संख्या 10 से 19 का कुल योग दर्शावें।

कॉलम संख्या–21–31

इन कॉलम्स में माह के दौरान वास्तविक पोषाहार लाभार्थियें को उपलब्ध कराई गई डाईट की संख्या की सूचना अंकित की जानी है। इस हेतु आंगनबाडी केन्द्रों से फार्म 4 में अंकित दैनिक उपस्थिति का लाभान्वितों की श्रेणीवार योग कर उस योग को अंकित किया जाना है। इन कॉलम्स की पूर्ति में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कॉलम संख्या 31 में कॉलम संख्या 21 से 30 तक का योग अंकित किया जाना है। इस कॉलम में सूचना पूर्ति हेतु उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :–

क. स.	लाभान्वित वर्ग	पंजीकृत लाभार्थी	लक्ष्य डाईट में	वास्तविक लाभार्थीयों की डाईट
1	2	3	4	5
1	0–3 वर्ष के बच्चे	38	950 (38 X 25)	900
2	0–3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे	2	50 (2 x 25)	40
3	3–6 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चे	32	800 (32 x 25)	700
4	3–6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे	2	50 (2 x 25)	40
5	गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं	18	450 (18 x 25)	400
6	किशोरी बालिकाऐं	1	25 (1 x 25)	22
	योग	89	2325	2102

प्रपत्र ब–बेबी मिक्स/पंजीरी पोषाहार की सूचना

इस प्रपत्र में पोषाहार सामग्री की मात्रा क्विंटल में ही दर्शायी जावें।

कॉलम संख्या–2

इस कालम में बाल विकास परियोजना का नाम अंकित किया जाना है। परियोजनाओं का कम वही रखा जावे जो प्रपत्र 'अ' में रखा गया है।

कॉलम संख्या–3

इस कॉलम में परियोजना स्तर पर गत माह का अन्तिम शेष अंकित किया जावें।

कॉलम संख्या–4

इस कॉलम में माह के दौरान (21 से 20 तारीख) परियोजना स्तर पर प्राप्त पोषाहार सामग्री (बेबी मिक्स/पंजीरी/एसएचजी द्वारा उत्पादित पोषाहार) की मात्रा अंकित की जावें।

कॉलम संख्या–5

इस कॉलम में कॉलम संख्या 3 व 4 का योग अंकित किया जावें।

कॉलम संख्या–6

इस कॉलम में परियोजना स्तर से आंगनबाडी केन्द्रों को माह के दौरान जारी की गई पोषाहार सामग्री की मात्रा दर्शायी जानी है। यह मात्रा कॉलम संख्या 5 के समान या उससे कम होगी। यहां यह ध्यान देने की बात है कि दिनांक 23.06.09 को नवीन पोषाहार नोर्म्स के सन्दर्भ में जारी पत्र में पोषाहार की परियोजना स्तर पर स्टोक लेखांकन पैकिट साईज के अनुसार बैग की संख्या में तथा आंगनबाडी स्तर पर पैकिट साईज के अनुसार पैकिट की संख्या में करने के निर्देश दिये गये है। यह निर्देश स्टॉक लेखाकंन में सुविधा के लिए दिये गये है। एमपीआर में पैकिट एवं बैग्स के आधार पर पोषाहार की वास्तविक मात्रा क्विटंल में ही परिवर्तित कर दर्शाई जाये।

कॉलम संख्या–7

इस कॉलम में परियोजना स्तर पर खराब हुई/छीजत/सैम्पल आदि की मात्रा दर्शायी जानी है।

कॉलम संख्या–8

इस कॉलम में परियोजना स्तर पर माह के दौरान कॉलम संख्या 6 एवं 7 में अंकित पोषाहार सामग्री की मात्रा कॉलम संख्या 5 में से घटाये जाने के उपरान्त शेष रही सामग्री अंकित होगी। रिपोर्टिंग माह का अंतिम शेष आगामी माह का प्रारम्भिक शेष रहेगा।

कॉलम संख्या–9

इस कॉलम में आंगनबाडी स्तर पर गत माह में रहे अंतिम शेष पोषाहार की मात्रा अंकित की जानी है।

कॉलम संख्या–10

इस कॉलम में माह के दौरान परियेाजना स्तर से आंगनबाडी केन्द्रों पर प्राप्त पोषाहार सामग्री की मात्रा दर्शायी जानी है। कॉलम संख्या 6 एवं कॉलम संख्या 10 की मात्रा एक समान होनी चाहिए। इन कॉलम की सूचना में विसंगति पाये जाने पर कम रही पोषाहार सामग्री को परियोजना/आंगनबाडी केन्द्र स्तर से खुर्दबुर्द किया जाना माना जाएगा तथा अन्तर की मात्रा की रिकवरी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जाएगी।

कॉलम संख्या–11

इस में कॉलम संख्या– 9 व 10 का योग अंकित किया जाना है।

कॉलम संख्या–12

इसमें माह के दौरान आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा लाभान्वितों को वितरित की गई पोषाहार सामग्री की मात्रा दर्शायी जानी है। आंगनबाडी केन्द्रवार एकत्रित फार्म–4 में लाभान्वितों को वितरित सामग्री का येाग इस कॉलम में आएगा।

कॉलम संख्या–13

इस कॉलम में आंगनबाडी स्तर पर खराब हुई/छीजत आदि की मात्रा दर्शायी जानी है।

कॉलम संख्या–14

इस कॉलम में आंगनबाडी स्तर पर माह के दौरान कॉलम संख्या 12 एवं 13 में अंकित पोषाहार सामग्री की मात्रा कॉलम संख्या 11 में से घटाये जाने के उपरान्त शेष रही सामग्री अंकित होगी। रिपोर्टिंग माह का अंतिम शेष आगामी माह का प्रारम्भिक शेष रहेगा।

कॉलम संख्या–15

इस कॉलम में पूरक पोषाहार हेतु पंजीकृत लाभार्थीयों को प्रतिमाह वितरित किये जाने वाले पोषाहार की मात्रा की गणना कर अंकित की जानी है। इस हेतु प्रपत्र 'अ' के कॉलम संख्या 10 से 19 में अंकित श्रेणीवार लाभार्थीयों की संख्या को पहले उन्हें देय दैनिक पोषाहार की मात्रा से गुणा करें। उदाहरणार्थ– 0–3 वर्ष के कुल 38 बच्चों को 125 ग्राम से, अतिकुपोषित 2 बच्चों को 200 ग्राम से, 18 गर्भवती–धात्री को 150 ग्राम से और इसी प्रकार 3–6 वर्ष के कुल 32 बच्चों को 50 ग्राम से, इन 3–6 वर्ष के 32 में से 2 अतिकुपोषित बच्चों को 75 ग्राम से और यदि 1 किशोरी बालिका हो तो उस संख्या को 150 ग्राम से गुणा करें। इस प्रकार सभी श्रेणी के लिए किये गये गुणित राशियों को जोड़कर इसे अब 25 से गुणा करें। इस प्रकार प्राप्त मात्रा को ग्राम से क्विंटल में दर्शावें। यह क्विंटल में मात्रा कॉलम संख्या–15 में अंकित करें।

कॉलम संख्या–16

इस कॉलम में परियोजना में वितरित वास्तविक पोषाहार सामग्री (क्विटंल में) का लक्ष्य की तुलना में प्रतिशत निकालकर अंकित करें। इस हेतु कॉलम संख्या–12 में कॉल्म संख्या–15 का भाग देकर उसे 100 गुणा करने पर आयी संख्या प्रतिशत के रूप में दर्शायी जानी है। यह दशमलव के उपरान्त अधिकतम 2 अंकों में दर्शायी जावें।

3–6 वर्ष के बच्चों के लिए गरम पूरक पोषाहार के प्रपत्र में डबल राशन (अति कुपोषित बच्चों) से संबंधित कॉलम संख्या 12,13 एवं 17,18 को प्रपत्र से हटाकर शेष प्रपत्र यथावत रहेगा।

1

बेबी मिक्स/पंजीरी के लाभार्थीयों की मासिक सूचना

जिला　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　माह

क्र.स.	परियोजना	आं.बा. केन्द्रो की संख्या				पोषाहार वितरण दिवस			पंजीकृत लाभार्थी का विवरण										योग (10से19)
		स्वीकृत		पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्रो की संख्या		लक्ष्य (3+4) x 25	उपलब्धी	प्रतिशत	0–3 वर्ष के सामान्य/अतिकुपोषित बच्चें @125 gms per day		0–3 वर्ष के अति. कुपोषित बच्चें @200 gms per day		3–6 वर्ष के कुल बच्चे नाश्ता @50 gms per day		3–6 वर्ष के कुल बच्चो में से अति. कुपोषित बच्चे को घर पर उपयोग हेतु @75 gms per day		गर्भवती /धात्री @150 gms per day	किशोरी बालिकाए केवल KSY में पंजिकृत @150 gms per day	
		आं.बा. केन्द्र	मिनी केन्द्र	आं.बा. केन्द्र	मिनी केन्द्र				बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वास्तविक लाभार्थियों की डाइटों का विवरण (डाईट संख्या में)										योग (21से30)
0–3 वर्ष के बच्चे		0–3 वर्ष के अति. कुपोषित बच्चे		3–6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता		3–6 वर्ष के अति. कुपोषित बच्चों को घर पर उपयोग हेतु		गर्भवती/धात्री	किशोरी शक्ति योजना में लाभार्थी किशोरी बालिकाएं	
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

प्रपत्र ब

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
बैबीमिक्स/पंजीरी के लाभान्वितों का मासिक सूचना

जिले का नाम............ माह............ पोषाहार का नाम............

		परियोजना स्तर की सूचना						आंगनबाडी स्तर की सूचना						(मात्रा क्विंटल में)		
क्र.सं.	नाम परियोजना	प्रारम्भिक शेष	माह में प्राप्त सामग्री की मात्रा	योग (3+4)	आंगनबाडी केन्द्रो को जारी मात्रा	हटाई गई मात्रा	अंतिम शेष 5−(6+17)	प्रारंभिक शेष	परियोजना से प्राप्त सामग्री	योग (9+10)	लाभार्थीयों को वितरित मात्रा	हटाई गई मात्रा	अंतिम शेष 11−(12+13)	मासिक सामग्री वितरण लक्ष्य	वितरण प्रतिशत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

हस्ताक्षर उप निदेशक मय सील

५

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

गरम खाना (3 से 6 वर्ष के बच्चे) के लाभान्वितों का मासिक सूचना

माह के लिए जिले द्वारा नियत पोषाहार दिवस की संख्या________

जिले का नाम____________

क्र.स.	परियोजना का नाम	आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या				पोषाहार वितरण दिवस			पंजीकृत लाभार्थी			वास्तविक लाभार्थी (डाईट में दर्ज)			
		स्वीकृत		पोषाहार वितरण करने वाले केन्द्रों की संख्या		लक्ष्य कॉलम (3+4) X 25	उपलब्धि	प्रतिशत	3-6 वर्ष के बच्चे		योग कॉलम 10 से 11	3-6 वर्ष के बच्चे		योग कॉलम 13 से 14	प्रतिशत
		आंगनबाडी केन्द	मिनी केन्द	आंगनबाडी केन्द	मिनी केन्द				बालक	बालिका		बालक	बालिका		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

हस्ताक्षर उप निदेशक मय सील

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

गरम खाना (3 से 6 वर्ष के बच्चे) के लाभान्वितों का मासिक सूचना

माह के लिए जिले द्वारा नियत पोषाहार दिवस की संख्या..........

जिले का नाम....................

पोषाहार का नाम....................

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.सं.	नाम परियोजना	गेहू दलिया			चावल			मूंग दाल			गुड			तेल			अन्य			योग		
		लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23